फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखंड अधिकारी मुकाम सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

जैसाराम S/o भानाराम माली वगैरा v/s राज. सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर etc

जाति नाई, नि.- तखतगढ़ / भूमि धारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 210 R.T.A. नं. रा.वि. 58 सन 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/9/16	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवेश बोहरा ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या (1) लगायत (10) तक के अन्तर्गत धारा 212, 210 RT Act 1955 में पेश अदालत किया। जो दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी हो। नोटिस के साथ प्रार्थना पत्र की नकलें भेजी जावे। पत्रावली आइंदा दिनांक 21/9/16 को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** **सुमेरपुर, जिला-पाली**	
	राजस्व विविध सं. 58/2016 जैसाराम वगैरा बनाम: राजस्थान सरकार वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 210 आर.टी.एक्ट,1955 दिनांक 21.09.2016 प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं.01 तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित। हमने, पक्षकारों की बहस दलील को सुना, साथ ही इस पत्रावली एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। कथित प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार सरहद मौजा तखतगढ, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 762/1006 रकबा 0.23 हेक्टर किस्म गै.मु.पायतान में से रकबा 14 वर्गगज भूमि, जिस पर प्रार्थीगण (वादीगण) ने 50 साल पुराना कब्जा होने के आधार पर प्रतिकूल कब्जा सिद्धान्त के तहत अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत	

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

लगातार–

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व विविध सं. 58/2016 जैसाराम वगैरा बनाम: राजस्थान सरकार वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 210 आर.टी.एक्ट,1955

खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु मूल वादपत्र प्रस्तुत किया है, इसके साथ ही मूल वादपत्र गुणावगुण के तहत विधिसम्मत् निस्तारित नहीं हो जाए, तब तक इस प्रकरण के तहत वादग्रस्त भूमि में से अप्रार्थीगण या अन्य कोई प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है।

प्रश्नगत् मामले में अप्रार्थी सं.01 तहसीलदार सुमेरपुर ने उक्त वादग्रस्त भूमि के बारे में राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति से संबंधित न्यायालय हाजा को मौखिक रूप से निवेदन किया कि प्रश्नगत् भूमि गत् व हाल राजस्व रेकर्ड में सरकारी सिवायचक व किस्म गै.मु.पायतान दर्ज है, इसके अलावा मौके पर यह भूमि नगरपालिका तखतगढ के आबादी क्षेत्र में स्थित है जो नगरीय क्षेत्र की परिधीय सीमा में आती है तथा इसके अलावा प्रश्नगत् भूमि पर प्रार्थीगण बतौर अवैध व नाजायज रूप से काबिज रहे है, वर्तमान में उक्त प्रश्नगत् भूमि पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार से कब्जा नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि बाबत किसी प्रकार से खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पाने के लिए कानूनन हकदार नहीं बनते है तथा ना ही इस प्रकरण के जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के कोई विधिक हकदार बनते है, अतः इसके आधारित प्रार्थीगण का कथित मामला प्रथम दृष्ट्या विधि के अनुरूप चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज फरमावे।

प्रश्नगत् मामले में उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व उल्लेखित तथ्यों पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हम, अप्रार्थी सं.01 तहसीलदार सुमेरपुर की तथाकथित मौखिक रिपोर्ट से सहमत है तथा इस संदर्भ में हमारी विधिक राय है कि वादग्रस्त भूमि प्रथमतः गत् व हाल राजस्व रेकर्ड में सरकारी सिवायचक व किस्म गै.मु.पायतान दर्ज है, इसके अलावा मौके पर यह भूमि नगरपालिका तखतगढ के आबादी क्षेत्र में स्थित होने से नगरीय क्षेत्र की परिधीय सीमा में आती है, इसके अलावा प्रश्नगत् भूमि पर प्रार्थीगण बतौर अवैध व नाजायज रूप से काबिज रहे, है और वर्तमान में उक्त प्रश्नगत् भूमि पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार से कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथमतः इस प्रकरण अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि के बारे में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के विधिक हकदार नहीं बनते है।

लगातार—

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख
	राजस्व विविध स. 58/2016 जैसाराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 210 आर.टी.एक्ट,1955 अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः सरहद मौजा तखतगढ, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 762/1006 रकबा 0.23 हेक्टर किस्म गै.मु.पायतान में से रकबा 14 वर्गगज भूमि बाबत् प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का प्रथम दृष्ट्या ही चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। यह आदेश बरोज आज दिनांक 21.09.2016 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली के साथ नत्थी की जावे। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)	

Scanned by CamScanner